

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

क्रमांक : 54 / 2024

दिनांक : 05 / 08 / 2023

दिनांक : 16 / 12 / 2024

उनवान

1. लक्ष्मण पिता घीसा भांडी निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
2. शता पत्नी घीसा भांडी निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
3. सुरशवंद पिता घासी भांडी निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
4. जीतमल पिता केरिंग भांडी निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवान पुत्र लालू भांडी निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
2. नवरलाल पिता उदा भांडी निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्ताव दिया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेंड खातेदार हैं। प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रादेशित किया जाता है कि ग्राम रावतिया प0 ह0 रावतिया तहसील भूपालसागर के हल्के बैरुनी के प्रार्थीगण के खातेदारी के हाल खाता संख्या 385 की आराजी न0 189 रकबा 0.21 है0, आराजी न0 190 रकबा 0.16 है0 आराजी न0 191 रकबा 0.03 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है0 तथा खाता संख्या 463 के आ0स0 188 रकबा 0.03 है0 भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेट्रत्व में सीमाकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुस्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड अधिवित साधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी निर्दिष्ट करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विवादाधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो प्रार्थीगण के साथ शूमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को सुले किया गया।



(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर

